2011:CGHC:1676

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 438/2011

याचिकाकर्तागण 1. गिरीश कुमार साहू ,आयु लगभग 23 वर्ष
निवासी- ग्राम चिवरी, पोस्ट सिर्री
तहसील- कुरुद जिला- धमतरी छत्तीसगढ़
2. दिवान कुमार साहू आयु लगभग 35 वर्ष
पिता केजराम साहू निवासी - सकरी,
तहसील- कुरुद जिला- धमतरी छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत कुरूद,
जिला- धमतरी (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन परमादेश एवं उत्प्रेषण के समुचित रिट तथा अन्य उपयुक्त रिट और निर्देश जारी करने हेतु याचिका:

एकलपीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री,न्यायाधीश

दिनाँक 28.02.2011

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4522/2009, राजेश्वरी राठौर व अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य) तथा अन्य संबधित प्रकरणों सहित इस याचिका में एक ही निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4522/2009

याचिकाकर्तागण राजेश्वरी राठौर व एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

एवं

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3847, 4628, 4632, 4939, 4941, 6228, 6255, 6258, 6704 और 7426 / 2009 रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3299, 3598, 3599, 3600, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783 और 4787 /2010 तथा 433, 435, 436, 437 और 438 / 2011.

निर्णय उद्घोषित करने हेतु आदेश दिनाँक 28 फरवरी , 2011 को सूचीबद्ध करें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4522/2009

याचिकाकर्तागण राजेश्वरी राठौर व एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3847/2009

याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार गजेन्द्र

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4628/2009

याचिकाकर्तागण भरत लाल देवांगन व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4632/2009

याचिकाकर्तागण दिलीप कुमार चौबे व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4939/2009

याचिकाकर्तागण पवन कुमार चन्द्राकर व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4941/2009

याचिकाकर्तागण राम नाथ शर्मा व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6228/2009

याचिकाकर्ता मुरली मनोहर दुबे

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6255/2009

याचिकाकर्ता शैलेन्द्र सिंह सोमवंशी

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6258/2009

याचिकाकर्ता महेन्द्र दुबे

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6704/2009

याचिकाकर्ता पद्मा देवांगन

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7426/2009

याचिकाकर्ता लक्ष्मी कुमार डड़सेना

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3299/2010

याचिकाकर्तागण अनील कुमार सोनी व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3598/2010

याचिकाकर्ता विजय लक्ष्मी साहू

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3599/2010

याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार गजेन्द्र

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3600/2010

याचिकाकर्तागण लोकेश कुमार साहू व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4779/2010

याचिकाकर्तागण थनवार दास डेकर व एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4780/2010

याचिकाकर्ता मोहम्मद मुस्तकिन

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4781/2010

याचिकाकर्ता रश्मि मिश्रा

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4782/2010

याचिकाकर्ता गोविंद राम साहू व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4783/2010

याचिकाकर्ता लक्ष्मण लाल वर्मा

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4787/2010

याचिकाकर्ता विमलेश कुमार साहू

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 433/2011

याचिकाकर्तागण पुष्पेंद्र सिन्हा व एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 435/2011

याचिकाकर्ता तुलसी देवांगन

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 436/2011

याचिकाकर्ता महेश कुमार

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 437/2011

याचिकाकर्ता देवेश दत्त

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 438/2011

याचिकाकर्तागण गिरीश कुमार साहू व एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिकाएं)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थिति:-

संबंधित याचिकाकर्तागण की ओर सेः श्री के.आर. नायर, श्री जितेन्द्र पाली, श्री मतीन सिद्दीकी एवं श्री वरुण शर्मा, अधिवक्तागण।

उत्तरवादी जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा की ओर सेः श्री वाई.एस. ठाकुर, राज्य के उप-महाधिवक्ता

संबंधित उत्तरवादीगण की ओर सेः श्री एम.पी.एस. भाटिया, श्री श्रीजित सी.एस. नायर, श्री पवन श्रीवास्तव एवं श्री अखिलेश कुमार,अधिवक्तागण।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(निर्णय आज दिनांक 28 फरवरी, 2011 को प्रदत्त)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4522, 3847, 4628, 4632, 4939, 4941, 6228, 6255, 6258, 6704 एवं 7426/2009 ; रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3299, 3598, 3599, 3600, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783 एवं 4787 /2010 तथा रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 433, 435, 436, 437 एवं 438 / 2011 में विधि का समान प्रश्न और एक जैसे तथ्य अन्तर्वलित हैं, अतः इन सभी याचिकाओं का इस एक ही आदेश के द्वारा निराकरण किया जाता है।

2. प्रकरण के निराकरण के प्रयोजन हेतु, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4522/2009 के तथ्यों को यहाँ उद्धृत किया गया है। याचिकाकर्तागण ने छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न जनपद पंचायतों द्वारा जनवरी 2008 के महीने में जारी विज्ञापनों के अनुपालन में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। परीक्षा अप्रैल 2008 के महीने में आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम दिनाँक 10-06-2008 को घोषित किया गया था। सभी याचिकाकर्तागण को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था, किंतु उन्हें इस कारण से नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि सूची की वैधता समाप्त हो गई थी। अतः, ये याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं।

3. प्रकरणों के इस समूह में, विभिन्न जनपद पंचायतों अर्थात्; पोड़ी उपरोड़ा और पाली (कोरबा), मुंगेली (बिलासपुर), खरसिया (रायगढ़), गुरूर (दुर्ग), मैनपुर, बलौदाबाजार और अभनपुर (रायपुर), कुरूद (धमतरी), बसना (महासमुंद), भानुप्रतापपुर (कांकेर) तथा खैरागढ़ (राजनांदगांव) के संबंध में नियुक्तियां शामिल हैं।

4. श्री नायर, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3847/2009 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता; श्री पाली एवं श्री शर्मा, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4522, 4628, 4632, 4939 एवं 4941/ 2009 में याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सिद्दीकी, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6228, 6255, 6258, 6704 एवं 7426 / 2009 , रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3299, 3598, 3599, 3600, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783 एवं 4787/ 2010 तथा रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 433, 435, 436, 437 एवं 438/ 2011 में याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि खंड 4.24 के अनुसार, चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी आधार पर उद्भूत या सृजित हुई समस्त रिक्तियों को, प्रतीक्षा सूची से वैधता की प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि के भीतर, जिसे बाद में बढ़ाकर तेरह माह कर दिया गया था, भरा जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रश्नाधीन प्रकरणों में, प्रारंभ में परिपत्र दिनांक 30-05-2009 के माध्यम से चयन/प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को तीन माह की अवधि के लिए, अर्थात 31-08-2009 तक यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए बढ़ाया गया था कि विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत आचार संहिता लागू होने के कारण, वैधता की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया था। तत्पश्चात, अधिसूचना दिनांक 25-06-2009 के माध्यम से संशोधन लाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2007 (संक्षिप्त में "नियम, 2007") के नियम 6 के उप-नियम (7) के खंड (छ) के उप-खंड (xi) के अधीन प्रदत्त "एक वर्ष" की वैधता को "तेरह माह" से प्रतिस्थापित किया गया था। अतः, याचिकाकर्ता उन रिक्तियों के विरुद्ध भी नियुक्त होने के हकदार हो गए, जो चयन प्रक्रिया के दौरान परिणाम घोषित होने के बाद सृजित हुई थीं या उत्पन्न हुई थीं।

6. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क किया रिक्तियों की उपलब्धता के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अतः, उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जा जाए कि वे याचिकाकर्तागण को प्रतीक्षा सूची के अनुसार संबंधित जनपद पंचायतों में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्त करें।

7. आगे यह तर्क किया गया कि उत्तरवादी अधिकारी केवल इस आधार पर कि अभ्यर्थियों के पास नियुक्ति का कोई अचूक अधिकार नहीं है, उचित कारण बताए बिना चयन/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को नहीं रोक सकते।

8. इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य डिप्टी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसोसिएशन विरुद्ध गुजरात राज्य व अन्य[1], डायरेक्टर, एससीटीआई फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी व एक अन्य विरुद्ध एम. पुष्पकरण[2], भारत संचार निगम लिमिटेड व अन्य विरुद्ध अभिषेक शुक्ला व एक अन्य[3] तथा नसीम अहमद व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य[4] के प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि अन्य जनपद पंचायतों में दिनाँक 30-06-2009 के बाद भी नियुक्तियां की गई हैं। अतः, याचिकाकर्ता भी उनके समान व्यवहार और समानता के अधिकार के हकदार हैं।

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित उप-महाधिवक्ता श्री ठाकुर तथा संबंधित उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री भाटिया, श्री श्रीजित सी.एस. नायर, श्री श्रीवास्तव एवं श्री अखिलेश कुमार ने यह तर्क किया कि नियम, 2007 में प्रदान की गई एक वर्ष की वैधता अवधि को कार्यकारी परिपत्र दिनांक 30-05-2009 के द्वारा 31-08-2009 तक नहीं बढ़ाया जा सकता था, और इसी कारण, नियम, 2007 के नियम 6 में संशोधन करके

1 1994 Supp(2) SCC 591
2 (2008) 1 SCC 448
3 (2009) 5 SCC 368
4 2011 AIR SCW 133

इस त्रुटि को सुधारा गया, जिसके अधीन "एक वर्ष" शब्द को "तेरह माह" से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार, चयन/प्रतीक्षा सूची की वैधता 30-06-2009 तक ही थी। नियुक्तियां इसलिए नहीं की जा सकीं क्योंकि अधिसूचना दिनांक 25-06-2009 द्वारा चयन/प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि बढ़ाने के बाद, केवल पांच दिन का समय शेष बचा था पाँच दिवस के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करना, काउंसलिंग आयोजित करना और उसके पश्चात नियुक्ति आदेश पारित करना संभव नहीं था और इस कारणवश, रिक्तियों को भरा नहीं जा सका। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि 30-06-2009 तक उपलब्ध रिक्तियां आगामी चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन गईं। फलस्वरूप, शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर चयन और नियुक्ति हेतु दिनांक 03-10-2009 को एक विज्ञापन जारी किया गया। आगामी चयन प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है और दिनांक 03-10-2009 के विज्ञापन के अनुसरण में नियुक्तियां की जा रही हैं।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, अभिवचनों तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्तागण को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। विज्ञापन के खंड 4.24 में उन सभी पदों पर नियुक्तियां करने का प्रावधान भी है, जो प्रतीक्षा सूची की वैधता की अवधि के भीतर उपलब्ध थे। खंड 4.24 निम्नानुसार है:

> “4.24 संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष तक के लिए वैध होगी तथा इस अवधि में नये पदों की स्वीकृति या किसी भी कारण से हुए रिक्त पदों की भर्ती इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी । "

उपरोक्त तथ्य उत्तरवादीगण द्वारा भी विवादित नहीं किया गया है।

13. कार्यकारी निर्देशों दिनांक 30-05-2009 के द्वारा, वैधता की अवधि को 30-08-2009 तक बढ़ाया गया था, किंतु वह विधिक रूप से अनुज्ञेय (Permissible) नहीं था। चयन/प्रतीक्षा सूची

की वैधता नियम, 2007 के नियम 6 में निर्धारित थी। उसे केवल नियम, 2007 में संशोधन के माध्यम से ही परिवर्तित, संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता था, जो कि बाद में अधिसूचना दिनांक 25-06-2009 के द्वारा किया गया। अधिसूचना दिनांक 25-06-2009 इस प्रकार है:

> "क्रमांक/764/पी/पीजीवीडब्ल्यू/22/2009. — छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 70 के साथ पठित धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
>
> संशोधन
>
> उक्त नियम में:-
>
> नियम 6 के उप-नियम (7) के खंड (छ) के उप-खंड (xi) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तेरह माह" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता कार्यकारी निर्देशों दिनांक 30-05-2009 के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। अतः, यह निर्धारित किया जाता है कि चयन/प्रतीक्षा सूची केवल 30-06-2009 तक ही वैध थी।

14. याचिकाकर्तागण का अंतिम तर्क यह है कि अन्य जनपद पंचायतों में प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी कई नियुक्तियां की गई हैं। ऐसी नियुक्तियों के आधार पर, याचिकाकर्ता समानता या अनुतोष का दावा नहीं कर सकते। यह एक सुस्थापित विधि है कि समानता का दावा नकारात्मक रूप में नहीं किया जा सकता; यदि कुछ अवैध नियुक्तियां की गई हैं, तो वही लाभ अन्य व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया जा सकता।

15. अन्य जनपद पंचायतों में कुछ नियुक्तियां होने का तथ्य विवादित नहीं है, किंतु याचिकाकर्तागण को वही लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता, जहाँ चयन सूची की वैधता की अवधि समाप्त होने के पश्चात अवैध नियुक्तियां की गई हैं।

16. इस न्यायालय ने संजय पाटिल विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य[5] के प्रकरण में, इसी प्रकार के विवाद्यक पर विचार करते हुए यह अवधारित किया था कि "यदि राज्य सरकार ने कुछ ऐसे दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया है, जिनकी नियुक्ति रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुसार नहीं की गई थी, तो यह न्यायालय इस आधार पर उन अवैध नियुक्तियों को वैध बनाने हेतु कोई सकारात्मक निर्देश जारी नहीं कर सकता कि नियोक्ता द्वारा कुछ अवैध नियुक्तियों को वैध/नियमित कर दिया गया है।" (देखें: पांची देवी विरुद्ध राजस्थान राज्य[6] तथा गुलाम रसूल लोन विरुद्ध जम्मू-कश्मीर राज्य व एक अन्य[7])।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. दिनांक 30-06-2009 को या उससे पूर्व अस्तित्व में रही रिक्तियों को आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया गया था, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था और उत्तरवादीगण द्वारा वह चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, आगामी रिक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्तागण को नियुक्त करने हेतु उत्तरवादी प्राधिकारियों को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *मध्य प्रदेश राज्य व अन्य विरुद्ध संजय कुमार पाठक व अन्य* [8]के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया था:

> "18. ....जैसा कि यह सुस्थापित विधि है कि भले ही व्यक्तियों के नाम चयन सूची में अंकित हों, वह स्वतः ही तब तक किसी विधिक अधिकार को जन्म नहीं देता जब तक कि राज्य की ओर से की गई कार्रवाई अनुचित, अयुक्तियुक्त या दुर्भावनापूर्ण न पाई जाए। अतः, राज्य, सद्भावपूर्वक कार्य करने तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और

5 WP(S) No.5845 of 2009 decided on 9-10-2009
6 (2009) 2 SCC 589
7 (2009) 15 SCC 321
8 (2008) 1 SCC 456

16 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन करने की शर्त के अधीन, चयन सूची में से भी किसी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्त न करने का निर्णय लेने का हकदार है...."

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *राखी राय व अन्य विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य*[9] के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:

"24. वह व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में आता है, नियुक्ति का कोई अचूक अधिकार प्राप्त नहीं करता है। सूची में नाम शामिल होना अधिक से अधिक नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पात्रता की एक शर्त है और यह अपने आप में चयन के समान नहीं है और न ही नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार सृजित करता है। रिक्तियों को वैधानिक नियमों के अनुसार और संवैधानिक जनादेश के अनुरूप भरा जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, एक बार 13 अधिसूचित रिक्तियां भर जाने के बाद, चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई, अतः आगे किसी भी नियुक्ति की कोई आशंका नहीं रह गई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. शंकरसन दश विरुद्ध भारत संघ[10] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए रिक्तियों की एक निश्चित संख्या अधिसूचित की जाती है और पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी योग्य पाए जाते हैं, तो सफल अभ्यर्थीगण को नियुक्त होने का एक अचूक अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसे वैध रूप से नकारा नहीं जा सकता। साधारणतः अधिसूचना केवल योग्य अभ्यर्थीगण को भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु एक आमंत्रण मात्र होती है और चयन होने पर वे पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। जब तक कि संबंधित भर्ती नियम ऐसा संकेत न दें, राज्य सभी या किसी भी रिक्ति को भरने के लिए किसी विधिक कर्तव्य के अधीन नहीं है। यद्यपि, इसका अर्थ यह

9 (2010) 2 SCC 637
10 (1993) 2 SCC 573

नहीं है कि राज्य को 'मनमाने ढंग' से कार्य करने का अधिकार मिल गया है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से और सद्भावपूर्वक लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरी जाती हैं, तो राज्य अभ्यर्थीगण की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती..."

21. उच्चतम न्यायालय ने आशा कौल (श्रीमती) व एक अन्य विरुद्ध जम्मू-कश्मीर राज्य व अन्य[11] के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:

"8. यह सत्य है कि चयन सूची में केवल नाम सम्मिलित होने से उसमें शामिल अभ्यर्थीगण को नियुक्ति का कोई अचूक अधिकार प्राप्त नहीं होता है... लेकिन यह प्रकरण का केवल एक पहलू है। दूसरा पहलू सरकार की निष्पक्षता से कार्य करने की बाध्यता है। इस पूरी कवायद को एक प्रहसन में नहीं बदला जा सकता। किसी विशेष श्रेणी के लिए अभ्यर्थीगण की एक विशेष संख्या का चयन करने हेतु आयोग को अधियाचन भेजने के बाद — जिसके अनुपालन में आयोग अधिसूचना जारी करता है, लिखित परीक्षा आयोजित करता है, साक्षात्कार लेता है, चयन सूची तैयार करता है और फिर सरकार को सूचित करता है— सरकार चुपचाप और बिना किसी ठोस एवं वैध कारण के इस पूरी कवायद को शून्य नहीं कर सकती और अभ्यर्थीगण के शिकायत करने पर उन्हें यह नहीं कह सकती कि उनके पास नियुक्ति का कोई विधिक अधिकार नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उच्चतम न्यायालय ने गुजरात स्टेट डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसोसिएशन (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:

'8. अगले विवाद्यक पर लौटते हुए, पहला प्रश्न यह है कि 'प्रतीक्षा सूची' क्या है? क्या इसे भर्ती का एक ऐसा स्रोत माना जा सकता है

11 (1993) 2 SCC 573

जिससे आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थीगण को चुना जा सके? और अंत में, यह कब तक प्रभावी रह सकती है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। सेवा संबंधी प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची पात्र और योग्य अभ्यर्थीगण की एक सूची होती है, जिन्हें योग्यता के क्रम में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के नीचे रखा जाता है। यह कैसे संचालित होगी और इसकी प्रकृति क्या होगी, यह नियमों द्वारा शासित हो सकता है। आमतौर पर यह उस चयन या परीक्षा से जुड़ी होती है जिसके लिए इसे तैयार किया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि वर्ष 1990 के लिए 10 अभ्यर्थीगण के चयन हेतु कोई परीक्षा आयोजित की जाती है और सक्षम प्राधिकारी एक प्रतीक्षा सूची तैयार करता है, तो वह केवल उन 10 पदों के संबंध में होती है जिनके लिए चयन या प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसका कारण यह है कि जब भी चयन आयोजित किया जाता है (सिवाय वहां के जहां यह एकल पद के लिए हो), तो सामान्यतः विज्ञापन जारी होने या आवेदन आमंत्रित करने की तिथि पर न केवल मौजूदा रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि उन रिक्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है जिनके सेवानिवृत्ति आदि के कारण भविष्य में एक वर्ष या उसके आसपास उत्पन्न होने की संभावना होती है। यह विशेष रूप से वहां अधिक होता है जहां आयोग द्वारा नियमित रूप से चयन आयोजित किए जाते हैं। ऐसी सूचियाँ या तो नियमों के अधीन या अन्यथा मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाती हैं कि यदि चयनित अभ्यर्थी किसी न किसी कारण से कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, या अगला चयन या परीक्षा शीघ्र आयोजित नहीं होती है, तो कार्यालय का कार्य प्रभावित न हो। प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी को योग्यता क्रम के आधार पर यह दावा करने का अधिकार है कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसे नियुक्त किया जाए। लेकिन एक बार जब चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं और इस्तीफे आदि के कारण या नियमों के अधीन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सूची के प्रभावी रहने की अवधि के भीतर किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं होती है (या जहां कोई विशिष्ट अवधि प्रदान नहीं की गई है वहां उचित अवधि के भीतर), तो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को किसी भी भविष्य की रिक्ति पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि चयन उसके लिए आयोजित न किया गया हो। उसके पास ऊपर बताए गए सीमित दायरे के अलावा कोई निहित अधिकार नहीं है, सिवाय उस स्थिति के जब नियुक्ति प्राधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करता है और बाहरी कारणों से अपनी पसंद से चुन कर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति करता है।'"

23. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उद्धृत डायरेक्टर, एससीटीआई फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11. इस संबंध में इस क्षेत्र में लागू विधि न तो संदेह में है और न ही विवादित है। केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति का नाम चयन सूची में आता है, वह स्वतः ही उसे नियुक्ति देने का आधार नहीं हो सकता। चयन सूची में शामिल व्यक्ति का इस संबंध में कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। चयनित अभ्यर्थीगण के पास नियुक्ति का कोई विधिक अधिकार नहीं होता, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य की ओर से सद्भावपूर्ण कार्रवाई के अधीन है..."

"16. अतः, यह स्पष्ट है कि जहाँ चयनित अभ्यर्थी के पास ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं है और उच्चतर न्यायालय अपनी न्यायिक पुर्नविलोकन की शक्ति के प्रयोग में, नियोक्ता की ओर से दुर्भावना या मनमानेपन के अभिवचन और प्रमाण के अभाव में, सामान्यतः कोई रिट जारी करने का निर्देश नहीं देगा। अतः, प्रत्येक

> प्रकरण पर उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।"

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:

> "17. अतः, हमें आक्षेपित निर्णयों में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि, हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि सामान्यतः ऐसी सूची का जीवनकाल एक वर्ष होता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गिरधर कुमार दाधीच विरुद्ध राजस्थान राज्य के प्रकरण में अवलोकन किया गया है। फिर भी, चयन सूची को अपीलार्थी द्वारा केवल अगस्त 2003 में अनुमोदित किया गया था और उत्तरवादीगण द्वारा उससे एक वर्ष के भीतर अभ्यावेदन दिए जाने के कारण, हमारी राय में, वर्तमान प्रकरण में उक्त आवश्यकता भी पूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रश्न विचारण न्यायालयों के समक्ष कभी नहीं उठाया गया था। यदि ऐसा प्रश्न उठाया गया होता, तो उत्तरवादी उसका समाधान कर सकते थे। (देखें: अमलान ज्योति बरुआ विरुद्ध असम राज्य)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत नसीम अहमद (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि उस प्रकरण में अपीलार्थीगण की नियुक्ति परिणाम की घोषणा के एक वर्ष के भीतर की गई थी। तत्पश्चात, बाद में आदेश दिनांक 19-09-2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि केवल दिनाँक 19-09-2001 के बाद की गई नियुक्तियां ही तदर्थ थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि सभी अपीलार्थी एक वर्ष के भीतर नियुक्त किए गए थे, अतः उन्हें तदर्थ नहीं माना जा सकता। यद्यपि, उस प्रकरण में वैधता को नियंत्रित करने वाले 'नियम 12' में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। अतः, निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:

> "11. .....जब तक प्रतीक्षा सूची समाप्त नहीं हो जाती, नियम 12 के अधीन नई सूची तैयार नहीं की जा सकती थी और उत्तरवादीगण द्वारा नए पदों को विज्ञापित करने तथा प्रतीक्षा सूची को तदर्थ बनाकर रद्द करने की शुरू की गई प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध है।

वर्तमान प्रकरणों में, वैधता की अवधि स्वयं नियम, 2007 में निर्धारित की गई है, अतः नसीम अहमद (पूर्वोक्त) का प्रकरण वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों से भिन्न है।

26. यह सत्य है कि अभ्यर्थीगण की नियुक्ति से केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जो अभ्यर्थी चयन/प्रतीक्षा सूची में हैं, उनके पास नियुक्ति का कोई अचूक अधिकार नहीं है। नियुक्ति से इनकार किया जाना अनुचित, अयुक्तियुक्त या दुर्भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करने पर, यह साबित हो चुका है कि वास्तविक और उचित कठिनाइयों के कारण नियुक्तियाँ नहीं की जा सकीं। अतः, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि नियुक्तियाँ अनुचित, अयुक्तियुक्त या दुर्भावनापूर्ण कारणों से नहीं की गई थीं।

28. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को प्रश्नाधीन प्रकरणों के तथ्यों पर लागू करते हुए तथा उपरोक्त उल्लिखित कारणों के आधार पर, ये समस्त रिट याचिकाएं, सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य हैं और एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

29. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ; Vikeshveri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur